



Neutral Citation No.-

2026:AHC:16648

एएफआर

आदेश सुरक्षित:- 2.12.2025

आदेश पारित:- 22.1.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - 21333 वर्ष 2013

शांति देवी

याचिकाकर्ता

बनाम

अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन/
डीडीसी और 5 अन्य

.....उत्तरदाता

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

याचिकाकर्ता के वकील।

: श्री शशि कांत शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री
अबरार अहमद सिद्दीकी

प्रतिवादी के वकील

: श्री अशोक कुमार सिंह, श्री बीएन
पाठक, एस. सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशि कांत शुक्ला, उनकी सहायता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अबरार अहमद सिद्दीकी, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बीएन पाठक की दलीलें सुनी गईं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवाद बिथरी चैनपुर ग्राम, परगना, तहसील एवं जिला बरेली में स्थित प्लॉट संख्या 661 से संबंधित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पति, छवीनाथ ने 8.6.2001 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से राम भरोसे से प्लॉट संख्या 661 का कुछ हिस्सा खरीदा था और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने भी 21-12-1999 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से राम भरोसे से प्लॉट संख्या 661 का कुछ हिस्सा खरीदा था। उत्तर प्रदेश समेकन अधिनियम 1953 (जिसे आगे "यूपीसीएच अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9-ए (2) के तहत कार्यवाही में यह माना गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (जिसे आगे "उपजाम एवं भूमि सुधार अधिनियम" कहा गया है) की धारा 176 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 30.8.1982 को पारित निर्णय एवं डिक्री के मद्देनजर सोहन लाल (राम भरोसे के पिता) का नाम खाता संख्या 99 ए के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जा सकता। तदनुसार, समेकन अधिकारी ने दिनांक 17.1.1990 के आदेश द्वारा सोहन लाल का नाम खाता संख्या 99 ए से हटा दिया तथा चैना देवी और चुनो देवी के नाम दर्ज किए गए। समेकन अधिकारी का दिनांक 17.1.1990 का आदेश, सोहन लाल के दावे के संबंध में, बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा दिनांक 23.8.1991 के आदेश और उप निदेशक द्वारा दिनांक 31.3.1999 के आदेश के माध्यम से अपील में बरकरार रखा गया था, लेकिन रहमान शाह (श्रीमती चाइना देवी के क्रेता) के संबंध में, समेकन अधिकारी के दिनांक 17.1.1990 के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा अधिनियम की धारा 12 के तहत एक कार्यवाही छवीनाथ (याचिकाकर्ता के पति) द्वारा दिनांक 8.6.2001 की विक्रय विलेख के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए शुरू की गई थी, जिसे राम भरोसे द्वारा निष्पादित

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

किया गया बताया गया था। समेकन अधिकारी ने दिनांक 1.3.2005 के आदेश द्वारा छवीनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया। समेकन अधिकारी के आदेश को समेकन बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा दिनांक 25.5.2007 के आदेश द्वारा अपील में और उप-निदेशक द्वारा दिनांक 9.1.2008 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण में बरकरार रखा गया था। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 राम सेवक और 2 अन्य, जो 21.12.1999 को निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर राम भरोसे के खरीदार थे, ने यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे समेकन अधिकारी ने दिनांक 6.4.2000 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया और राम भरोसे के स्थान पर राम सेवक और 2 अन्य के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। दिनांक 6.4.2000 के समेकन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता के पति छवीनाथ ने यूपीसीएच अधिनियम की धारा 48 के तहत सीधी पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे दिनांक 3.9.2012 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही का निर्णय करने के लिए समेकन अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया गया। उप-निदेशक चकबंदी द्वारा दिनांक 3.9.2012 को पारित पुनर्विचार आदेश के बाद, चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 7.11.2012 के आदेश द्वारा दिनांक 8.6.2001 की विक्रय विलेख के आधार पर छवीनाथ का नाम तथा दिनांक 21.12.1999 की विक्रय विलेख के आधार पर राम सेवक और दो अन्य का नाम दर्ज करने का आदेश दिया, जिसे कथित तौर पर राम भरोसे द्वारा निष्पादित किया गया था। दिनांक 7.11.2012 के आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी संख्या 2/चैना देवी ने दिनांक 3.9.2012 के आदेश के विरुद्ध चकबंदी अधिकारी और उप-निदेशक चकबंदी के समक्ष दिनांक 29.1.2013 को भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन के साथ बहाली आवेदन दायर किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने शांति देवी के साथ मिलकर उपरोक्त समय-बाधित बहाली आवेदन पर आपत्ति दर्ज की। उप संकोष निदेशक ने दिनांक 14.3.2013 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/चैना देवी द्वारा दायर बहाली आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 3.9.2012 और 7.11.2012 के आदेशों को निरस्त कर दिया और पुनरीक्षण याचिका को उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया। अतः निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:-

"अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) / उप निदेशक, समेकन, जिला बरेली द्वारा दिनांक 14.3.2013 को पारित किए गए विवादित आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 11) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

3. इस न्यायालय ने 17.4.2013 को इस मामले पर सुनवाई की और 14.3.2013 के आदेश के अनुसरण में पुनरीक्षण संख्या 346 और 347 की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

4. दिनांक 17.4.2013 के आदेश के अनुसरण में, पक्षों ने अपने-अपने जवाबों का आदान-प्रदान किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उप-निदेशक समेकन द्वारा दिनांक 14.3.2013 को पारित किया गया वह आदेश, जिसमें पुनरीक्षण कार्यवाही को बहाल किया गया है, अनुचित है।

Translated version. Not for Legal Use.

और अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण, विधि की दृष्टि में विवादित आदेश मान्य नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी संख्या 2/चैना देवी द्वारा दायर बहाली आवेदनों के समर्थन में भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन के विरुद्ध उचित आपत्ति दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि खाता संख्या 99Aa के संबंध में पहले ही निर्णय हो चुका है, लेकिन वर्तमान विवाद खाता संख्या 99 से संबंधित है, इसलिए दिनांक 14.3.2013 का विवादित आदेश विधि की दृष्टि में मान्य नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से समेकन अधिकारी और उप-निदेशक समेकन के समक्ष दो अलग-अलग बहाली आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन उप-निदेशक समेकन ने समेकन अधिकारी के आदेश को रद्द करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, क्योंकि समेकन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध उपाय अपील में निहित है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 समेकन अधिकारी और उप-निदेशक समेकन के समक्ष पक्षकार नहीं थी, इसलिए उसे समेकन अधिकारी/उप-निदेशक समेकन के समक्ष बहाली/वापसी के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 का प्लॉट संख्या 661 से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसे समेकन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध बहाली/वापसी के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 9 ए (2) के तहत पूर्व कार्यवाही राम भरोसे द्वारा शुरू किया गया यूपीसीएच अधिनियम और धारा-12 छविनाथ (याचिकाकर्ता के पति) द्वारा शुरू किया गया यूपीसीएच अधिनियम का मुकदमा राम भरोसे और छविनाथ दोनों के खिलाफ तय किया गया था, क्योंकि यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत यह कार्यवाही रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाए बिना पारित किया गया है, इसलिए ये आदेश अवैध हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछली कार्यवाही में... छविनाथ (याचिकाकर्ता के पति) द्वारा यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 पक्षकार था, अतः यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत शुरू की गई बाद की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विलंब क्षमादान की प्रार्थना सहित बहाली आवेदन समेकन अधिकारी और उप-निदेशक समेकन के समक्ष विधिवत रूप से दायर किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 14.3.2013 के विवादित आदेश के तहत, बहाली आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है और पुनरीक्षण कार्यवाही को उनके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया गया है ताकि प्रतिवादी संख्या 2 को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि राम भरोसे को खाता संख्या 99ए के भूखंडों के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था, अतः छविनाथ

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(याचिकाकर्ता के पति) और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को राम भरोसे के क्रेता के रूप में खाता संख्या 99ए के भूखंडों पर दर्ज होने का कोई अधिकार और हक नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश बाल्यावस्था अधिनियम की धारा 9ए(2) और उत्तर प्रदेश बाल्यावस्था अधिनियम की धारा 12 के तहत पूर्व की कार्यवाही में समेकन अधिकारियों द्वारा माना गया था।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही में, समेकन अधिकारी द्वारा 6.4.2000 को राम भरोसे (प्रतिवादी संख्या 6 के पति) के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि उप-निदेशक समेकन ने 3.9.2012 के आदेश द्वारा छायानाथ (याचिकाकर्ता के पति) और प्रतिवादी संख्या 6 (राम भरोसे की पत्नी) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं में समेकन अधिकारी द्वारा पारित 6.4.2000 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को निर्णय के लिए समेकन अधिकारी के समक्ष वापस भेज दिया। यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही नए सिरे से शुरू की गई है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि समेकन अधिकारी ने 7.11.2012 के आदेश द्वारा राम भरोसे के स्थान पर छाविनाथ (याचिकाकर्ता के पति) और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने 3.9.2012 के आदेश के विरुद्ध उप-निदेशक समेकन के समक्ष विलंब क्षमादान की प्रार्थना के साथ बहाली आवेदन और 7.11.2012 के आदेश के विरुद्ध समेकन अधिकारी के समक्ष विलंब क्षमादान की प्रार्थना के साथ बहाली आवेदन दायर किए थे। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि उप निदेशक समेकन ने दिनांक 14.3.2013 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर बहाली आवेदनों को स्वीकार करते हुए दिनांक 3.9.2012 और 7.11.2012 के आदेशों को रद्द कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद दोनों पुनरीक्षणों को उनके मूल क्रमांकों पर नए सिरे से निर्णय के लिए बहाल कर दिया।

9. इस मामले में निहित विवाद को समझने के लिए, पारिवारिक वंशावली का अध्ययन करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:-

बाल किसान

_____ | _____

सीता राम	पुरानी	चोखे	ख्याली राम
चुनो देवी सोहन लाल		नंद राम	
		*	

चाइना देवी	लेख राज
(प्रतिवादी संख्या-2)	*

राम भरोसे
कलावती (पत्नी)
(प्रतिवादी संख्या-6)

10. यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत पूर्व में शुरू की गई कार्यवाही में, समेकन अधिकारियों ने अंततः यह निर्णय दिया कि राम भरोसे के पिता सोहन लाल का नाम खाता संख्या 99ए पर दर्ज नहीं किया जा सकता है, इसलिए सोहन लाल का नाम हटा दिया गया और चाइना देवी और चुनो देवी के नाम मूल वर्ष में दर्ज किए गए अनुसार ही दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया। यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिकाकर्ता के पति छवीनाथ द्वारा शुरू की गई पूर्व कार्यवाही में, समेकन अधिकारियों ने यह निर्णय दिया कि यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत कार्यवाही में निर्धारित अधिकार एवं स्वामित्व को देखते हुए, सोहन लाल के पुत्र राम भरोसे द्वारा कथित रूप से निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 8.6.2001 के आधार पर छवीनाथ का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। पिछली समेकन कार्यवाही में चाइना देवी पक्षकार थीं, लेकिन यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत बाद की कार्यवाही में चाइना देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया और कथित विक्रय विलेख दिनांक 8.6.2001 के आधार पर छाविनाथ (याचिकाकर्ता के पति) का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया, जो समेकन अधिकारियों द्वारा अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग नहीं है।

11. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 2 /चैना देवी ने दो बहाली आवेदन दायर किए हैं, एक समेकन अधिकारी के समक्ष और दूसरा उप समेकन निदेशक के समक्ष, विलंब क्षमादान की प्रार्थना के साथ। उप समेकन निदेशक ने 3.9.2012 के पुनरीक्षण आदेश और 7.11.2012 के समेकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में अपने अधिकार क्षेत्र का सही प्रयोग किया है, जिसमें धारा के तहत दायर आवेदन को स्वीकार किया गया था। यूपीसीएच अधिनियम की धारा 12 के तहत उप निदेशक के रूप में, उप निदेशक, यूपीसीएच अधिनियम की धारा 44-ए के प्रावधानों के अनुसार, अपने अधीनस्थ समेकन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। यूपीसीएच अधिनियम की धारा 44-ए का अवलोकन करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है: —

“44-ए अधीनस्थ प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा: जहां इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग किया जाना है या कर्तव्यों का पालन किया जाना है, वहां ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उससे उच्चतर किसी प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।”

12. उप-संचयन निदेशक/पुनरीक्षण न्यायालय, उत्तर प्रदेश बाल्यावस्था परिच्छेदन अधिनियम की धारा 9-ए(2) और धारा 12 के तहत समेकन अधिकारियों द्वारा पारित पूर्व आदेशों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2/चैना देवी को दोनों पुनरीक्षणों में उचित रूप से पक्षकार बनाकर संपूर्ण विवाद का निर्णय कर सकता है।

यूपीसीएच अधिनियम के तहत, पूर्ववर्ती कार्यवाही और अनुवर्ती कार्यवाही में विवादित भूखंड "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

समान हैं या भिन्न, इस मुद्दे की जांच उप-निदेशक समेकन द्वारा उचित तरीके से की जाएगी।

13. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.3.2013 को पारित विवादित आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यूपीसीएच अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षणों को उनके मूल क्रमांकों पर बहाल किया गया है ताकि कानून के अनुसार विवाद का नए सिरे से निपटारा किया जा सके।

14. रिट याचिका खारिज की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1/ पुनरीक्षण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 2/चैना देवी को दोनों पुनरीक्षणों में विपक्षी पक्षकार बनाकर कानून के अनुसार पुनरीक्षणों का निपटारा शीघ्रता से करे, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026